चित्रकूट-पुलिस

(1). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे "मिशन शक्ति अभियान-4" के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/''शक्ति दीदी'' द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

"मिशन शक्ति अभियान-4" व ''शक्ति दीदी'' अभियान के तहत आज दिनांक 09.09.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया । महिलाओं/बालिकाओँ को "मिशन शक्ति" व ''शक्ति दीदी'' के सार्वजनिक स्थलो जैसे- चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई । इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है । इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया । इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की।

(2). आज दिनाँक 09.09.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह निर्देशन में चित्रकूट पुलिस द्वारा शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृण बनाये रखने हेतु थाना/चौकी प्रभारियो द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया। पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओँ एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सरकारी शराब की दुकानों को चेक किया गया एवं 02/04 पहिया वाहनों की चेकिंग की गयी।

(3). पुलिस अधीबक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक सरधुवा श्री आशुतोष तिवारी के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री राजेश कुमार राय तथा उनके हमराही आरक्षी धर्मेन्द्र द्वारा अभियुक्त हरिश्चन्द्र पुत्र भुरवा निवासी ग्राम अरछा बरेठी खैरी का पुरवा थाना सरधुवा जनपद चित्रकूट को 10 लीटर कच्ची शराब महुवा के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना सरधुवा में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

(4). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री अनिल कुमार गुप्ता चौकी प्रभारी सीतापुर एवं उनके हमराही आरक्षी रविन्द्र द्वारा मु0अ0सं0 571/2024 धारा 137(2) बीएनएस के वांछित अभियुक्त उमेश कुमार पुत्र शिवकुमार रैदास निवासी अमानपुर थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(5). आज दिनाँक-09.09.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में क्षेत्राधिकारीगण के मार्गदर्शन में थाना क्षेत्रान्तर्गत आने वाले बैंक/वित्तीय संस्थानों की चेकिंग की गयी। चेकिंग के दौरान बैंक सुरक्षा रजिस्टर को चेक किया गया एवं डियूटी में लगे पुलिसकर्मियों को सुरक्षा सम्बन्धी आवश्यक निर्देश दिये एवं सतर्कतापूर्वक डियूटी करने हेतु बताया गया। बैंक में लगे अलार्म/सायरन, सीसीटीवी कैमरों का निरीक्षण कर चेक किया गया कि सही प्रकार से कार्य कर रहे है या नहीं तथा शाखा प्रबंधकों से सुरक्षा सम्बन्धी वार्ता की गयी। परिसर में संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी एवं अनावश्यक रूप से बैठे व्यक्तियों को परिसर से बाहर कर निर्देश दिये गये।

(6). पुलिस अधीक्षक श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री चक्रपाणि त्रिपाठी एवं क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक राजापुर श्री मनोज कुमार सिंह व उनकी टीम द्वारा 15000/- रुपये के इनामी मु0अ0सं0 08/22 धारा 2/3 गैंगेस्टर एक्ट थाना राजापुर के वांछित अभियुक्त राजेश रैदास पुत्र कुक्कू रैदास नि0 ग्राम चर थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट हाल मुकाम लूपलाइन चौराहा के पास कस्वा राजापुर जनपद चित्रकूट को 01 अदद तमंचा 12 बोर 02 अदद कारतूस 12 बोर के साथ गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अभियुक्त राजेश रैदास उपरोक्त काफी दिनों से फरार चल रहा था एवं इसकी गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक द्वारा 15000/- रुपये का इनाम घोषित किया गया था। अभियुक्त के कब्जे से अवैध तमंचा,कारतूस की बरामदगी के आधार पर थाना राजापुर में धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

1. उ0नि0 श्री कन्हैया बख्श सिंह थाना राजापुर
2. का0 प्रकाश मिश्रा
3. का0 अजय मिश्रा

(9). पुलिस अधीक्षक श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री चक्रपाणि त्रिपाठी एवं क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक राजापुर श्री मनोज कुमार व उनकी टीम द्वारा मु0अ0सं0 90/24 धारा 2/3 गैंगेस्टर एक्ट थाना सरधुवा के वांछित अभियुक्त दिलीप सिंह पुत्र स्व0 जगजीत सिंह निवासी मऊ थाना मरका जनपद बांदा को एक अदद तमंचा 315 बोर नाजायज व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अभियुक्त दिलीप सिंह उपरोक्त काफी दिनों से फरार चल रहा था अभियुक्त के कब्जे से अवैध तमंचा,कारतूस की बरामदगी पर थाना राजापुर में धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

1.प्रभारी निरीक्षक राजापुर श्री मनोज कुमार

2.उ0नि0 श्री सिद्धनाथ राय

3.उ0नि0 श्री अखिलेश सिंह

4.मुख्य आरक्षी अतीक

5.आरक्षी चन्दन

(10). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक रैपुरा श्री श्यामप्रताप पटेल एवं पैरोकार आरक्षी रविप्रकाश तथा प्रभारी मॉनिटिरिंग सेल निरीक्षक श्री प्रकाश यादव एवं उनकी टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो चित्रकूट श्री तेजप्रताप सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय विशेष न्यायधीश पॉक्सो/अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती रेनु मिश्रा द्वारा पुलिस मुख्यालय से पैरवी हेतु चिन्हित एवं द्वारा थाना रैपुरा में पंजीकृत मु0अ0सं0 03/2020 धारा 376,506 भादवि के आरोपी अभियुक्त अंगद चमार पुत्र सुखनंदन चमार निवासी लोखरी थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट 10 वर्ष का कठोर कारावास और 07 हजार रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

घटना का विवरणः-

दिनाँक 03.01.2020 को थाना रैपुरा में पीड़िता के पिता द्वारा सूचना दी गयी थी कि अभियुक्तगण द्वारा वादी की नाबालिक पुत्री के साथ दुष्कर्म कर जान से मारने की धमकी दी है। सूचना के आधार पर थाना रैपुरा में पंजीकृत मु0अ0सं0 03/2020 धारा 376,506 भादवि धारा 4 पॉक्सो एक्ट के आरोपी अभियुक्त1.अंगद चमार पुत्र सुखनंदन चमार 2. भगौती पुत्र सुखनंदन निवासी लोखरी थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट पंजीकृत किया गया था। विवेचना तत्कालीन उ0नि0 कृपाशंकर मिश्रा द्वारा मुकदमें की

विवेचना की गयी थी। दिनाँक 27.02.2020 को आरोपियों के विरूद्ध मा0 न्यायालय में आरोप-पत्र प्रेषित किया गया था।